भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1375

जिसका उत्तर सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

ऋण माफ करना

†1375. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर बढ़ते कृषि संकट और ऋणग्रस्तता को देखते हुए, राष्ट्रीयकृत बैंक से लिए गए कृषि ऋणों की माफी के लिए किसानों की मांग पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यद्यपि तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों ने सहकारी फसल ऋणों की माफी की घोषणा की है तथापि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बकाया फसल ऋणों के लिए ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार, राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसानों के राज्य-वार कुल कितने कृषि ऋण बकाया है; और

(घ) क्या सरकार का छोटे और सीमांत किसानों के लिए ऐसे ऋणों की एकमुश्त माफी या पुनर्गठन करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): तनावग्रस्त उधारकर्ताओं को राहत देने हेतु, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2025 को तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान संबंधी मास्टर निर्देश, 2025 (01 जुलाई 2026 को अद्यतन किया गया) जारी किया है, जो, अन्य *बातों के साथ-साथ,* ऋणदाताओं को उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और विनियामकीय दिशानिर्देशों के आधार पर तनावग्रस्त में उधारकर्ताओं के वित्तीय पुनर्गठन करने का विवेकाधिकार प्रदान करता है।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), तमिलनाडु ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बकाया ऋणों के लिए कोई फसल ऋण के लिए माफी नहीं दी गई है।

(ग): नाबार्ड के एंश्योर पोर्टल पर बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में बकाया कृषि ऋणों का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(घ): छोटे और सीमांत किसानों के ऋणों की एकमुश्त माफी का कोई प्रस्ताव वर्तमान में केन्द्र सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में राज्यवार बकाया कृषि ऋण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बकाया राशि (करोड़ रुपये)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	407.63
2	आंध्र प्रदेश	2,69,415.73
3	अरुणाचल प्रदेश	550.4
4	असम	12,154.08
5	बिहार	39,387.38
6	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	1,803.73
7	छत्तीसगढ़	13,276.39
8	दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	195.39
9	दिल्ली	7,717.23
10	गोवा	1,367.34
11	गुजरात	74,176.52
12	हरियाणा	39,786.04
13	हिमाचल प्रदेश	8,167.54
14	जम्मू और कश्मीर	1,587.29
15	झारखंड	13,576.70
16	कर्नाटक	1,35,159.62
17	केरल	91,140.68
18	लद्दाख	47.14
19	लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र	59.69
20	मध्य प्रदेश	79,353.97
21	महाराष्ट्र	1,33,362.96
22	मणिपुर	902.8
23	मेघालय	637.51
24	मिजोरम	206.54
25	नागालैंड	605.39
26	ओडिशा	36,635.56
27	पुडुचेरी	5,905.79
28	पंजाब	48,421.94
29	राजस्थान	88,599.32
30	सिक्किम	316.23
31	तमिलनाडु	3,44,996.64
32	तेलंगाना	1,15,078.19
33	त्रिपुरा	1,076.40
34	उत्तर प्रदेश	1,38,907.63
35	उत्तराखंड	9,710.59
36	पश्चिम बंगाल	56,431.43

स्रोत: नाबार्ड के एंश्योर पोर्टल पर बैंकों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ें (अनंतिम)